दैनिक भास्कर इंदौर 08-02-2025

Bank of India

रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी,
स्कीम नं. 134, एम.आर.-10,
स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010,
फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया) के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है " के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 25.02.2025** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 25.02.2025 को प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
आस्ति वसूली शाखा	मेसर्स डायमंड बेवरेजेस, पार्टनर : 1. श्री अजय कुमार जैन पिता श्री कैलाश चंद्र जैन , 2. श्रीमती निशा जैन पति श्री अजय कुमार जैन , 3. श्री अनीष जैन पिता श्री अजय कुमार जैन, जमानतदार : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रोप्रा श्री अजय कुमार जैन	प्लॉट नं. 02 , भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, क्षेत्रफल : 1000 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व : रोड , पश्चिम : प्लॉट नं. 31, उत्तर : प्लॉट नं. 03, दक्षिण : प्लॉट नं. 01, स्वामित्व : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन ,	06.04.2021 ₹ 1,85,92,703.30 + ब्याज एवं अन्य खर्च	16.11.2021 सांकेतिक	₹ 11.00 लाख	₹ 1.10 लाख
		प्लॉट नं. 03 , भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, क्षेत्रफल : 1000 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व : रोड , पश्चिम : प्लॉट नं. 30, उत्तर : प्लॉट नं. 04, दक्षिण : प्लॉट नं. 02, स्वामित्व : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन			₹ 11.00 लाख	₹ 1.10 लाख
		प्लॉट नं. 192 , रहवासी भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, क्षेत्रफल : 500 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व : प्लॉट नं. 170 , पश्चिम : रोड़, उत्तर : प्लॉट नं. 191, दक्षिण : अन्य भूमि, स्वामित्व : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन			₹ 5.50 लाख	₹ 0.55 लाख
		व्यावसायिक शॉप भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 ग्राम राजगढ, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, क्षेत्रफल : 5381 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व : अन्य भूमि, पश्चिम : रोड, उत्तर : पार्क, दक्षिण : रोड, स्वामित्व : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन			₹ 67.26 लाख	₹ 6.73 लाख
आस्ति वसूली शाखा	1. मेसर्स भूपति इन्टरप्राईजेस (प्रोप्रा. सुश्री सविता सिंह पिता श्री मनवीर सिंह) 2. सुश्री सविता सिंह पिता श्री मनवीर सिंह (प्रोप्रा. मेसर्स भूपति इन्टरप्राईजेस), 3. श्री विवेक पिता श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह रावत (जमानतदार)	1. साम्यिक बंधक शॉप - प्रकोष्ठ नं. एलजी-2, कृतज्ञ टावर, प्लॉट नं. 8, जानकी नगर एनेक्स, इंदौर पर स्थित, क्षेत्रफल : 494 वर्ग फीट, चर्तुसीमा: पूर्व: प्रकोष्ठ नं. 01, पश्चिम: प्रकोष्ठ नं. 03, उत्तर : प्लॉट के बाद इसी बिल्डिंग की खुली जगह, दक्षिण : रोड़, सपंत्ति मालिक : सुश्री सविता सिंह पिता श्री मनवीर सिंह (प्रोप्रा. मेसर्स भूपति इन्टरप्राईजेस), श्री विवेक पिता श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह रावत (जमानतदार)	11.03.2022 ₹ 87,30,415.10 + ब्याज एवं अन्य खर्च	26.04.2023 भौतिक	₹ 37.80 लाख	₹ 3.78 लाख
		2. साम्यिक बंधक प्रकोष्ठ नं. एलजी-3, कृतज्ञ टावर, प्लॉट नं. 8, जानकी नगर एनेक्स, इंदौर पर स्थित, क्षेत्रफल: 436 वर्ग फीट, चर्तुसीमा : पूर्व: प्रकोष्ठ नं.02, पश्चिम: प्रकोष्ठ नं. 09, उत्तर : प्लॉट के बाद इसी बिल्डिंग की खुली जगह, दक्षिण : रोड़, सपंत्ति मालिक : सुश्री सविता सिंह पिता श्री मनवीर सिंह (प्रोप्रा. मेसर्स भूपति इन्टरप्राईजेस), श्री विवेक पिता श्री विजेन्द्र प्रताप सिंह रावत (जमानतदार)			₹ 33.00 लाख	₹ 3.30 लाख
आस्ति वसूली शाखा	श्री आतिश सेलार और सह-उधारकर्ता श्रीमती श्वेता सेलार	संपत्ति के सभी प्रमुख अंश व भू.भाग डबल स्टोरी बिल्डिंग, हाउस नं. 96, सर्वे नं. 338/3/1, पीएच नं. 37, वार्ड नं. 6, कन्नौद रोड, खातेगांव, जिला. देवास, म.प्र में स्थित, प्लॉट क्षेत्रफल 167.28 वर्ग मीटर, मालिक श्री अतीश सेलार, चतुर्सीमा : उत्तर में बाबूलाल का मकान, दक्षिण में इंदौर-हरदा रोड, पूर्व में श्रीमती द्वारका बाई का मकान, पश्चिम में श्रीमती तारा बाई जोशी का मकान	06.04.2024 ₹60,81,482.45 + ब्याज एवं अन्य खर्च	20.07.2024 सांकेतिक	₹ 72.00 लाख	₹ 7.20 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेवसाईट https://baanknet.com बोलीकर्ताhttps://baanknet.com, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25 % (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें)दिन को या उससे पहले या ऐसी अवधि, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण दर्ज कर बढ़ाया गया हो, के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1 % की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 08.02.2025, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया